

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है श्री प्रमोद प्रसाद शर्मा 2. वर्तमान धारित पद डीएचए

3. वर्तमान वेतन 42250/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *खरीद, पट्टा, वंशक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	आयशुल्क
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<u>बिना</u>	<u>अवन</u>	<u>फ्लैंड</u>	<u>10,50,000</u>	<u>फ्लैंड</u>	<u>गृह खरीद</u>	<u>अवन</u>		

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।
 * ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।
 *** अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवेश नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार सौंपना-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें यह उनके स्वामित्व की जांच उनके द्वारा अर्जित भवना उल्लेखित होने मिलती है। उनमें अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे का अंक या ग्राहक द्वारा अर्जित सम्पत्ति प्रत्येक संपत्ति के व्योरे में।

हस्ताक्षर अनूप शर्मा
 नाम अनूप शर्मा
 पद डीएचए
 विभाग डी.ए.डी.ओ. विभाग, बिना